न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	34 / 24	2024 / 60	28.08.2024	सरकार बनाम किरोड़ीलाल	26.02.2026	1 लगायत8

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34 / 2024 (2024 / 60)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री किरोडी लाल बजाज पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल जी महाजन (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) मैसर्स– बजाज एन्टरप्राईजेज बजाज भवन, कचहरी रोड़, गंगापुर सिटी 322201 मी.न. 9460234371
2. . श्री रजनीश गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता (पार्टनर) मैसर्स एस.एस फूड प्रोडक्ट स्पेशल डी–14, द्वितीय तल, चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर 302001 निवासी– टंन्टा हनुमान के पास, करौली. 322241
3. श्री छोटू प्रजापत (पार्टनर) मैसर्स एस.एस फूड प्रोडक्ट स्पेशल डी–14, द्वितीय तल, चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर 302001
4. ' श्री जितेन्द्र सिंह (नोमिनी) मैसर्स एस.एस फूड प्रोडक्ट स्पेशल डी–14, द्वितीय तल, चादपोल अनाज मंडी, जयपुर 302001 निवासी 68–ए गणेश नगर प्रथम बालाजी कॉलेज के पास, बेनाड़ रोड, हरमाडा जयपुर 302013 मो.न. 9667045029।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (प)/51 – 2 (अ)58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा बलाये जा रहा अभियान (शुद्ध के लिये युद्ध) के तहत दिनाक 24.05 2024 को दोपहर 01.00 पी.एम पर उक्त फार्म बजाज एन्टरप्राईजेज, बजाज भवन, कचहरी रोड़, गंगापुर सिटी संस्थान पर पहुंचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला जिसको मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम किरोड़ी लाल बजाज पुत्र स्व. श्री बद्रीलाल महाजन कर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु थी (गारवाड की शान) सरस 5 लीटर, 1 लीटर व 15 किलोग्राम पैकिंग में रखा हुआ था था। उक्त पैकिंगों में रखे पी (मारवाड की शान) सरस में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जाँच हेतु 5 लीटर टिन को अच्छी तरह हिलाकर टिकड़ी के विपरित ओर छेद कर पी (मारवाड़ की शान) सरस खरीदकर उनकी कीमत 381/— रुपये एवं 1—1 लीटर थी (मारवाड की शान) सरस के 4 मूल पैकेट खरीदकर उनकी कीमत 1523/— रुपये एवं 15 किलोग्राम टीन मूल पैकिंग को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर 1 लीटर खरीदकर उनकी कीमत 381/— रूपये कुल 2285/— रूपये नगद भुगतान कर विक्रेता श्री किरोडी बजाज को नगद अदा कर अलग—अलग रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 5 लीटर टिन घी (मारवाड़ की शान) सरस 1 लीटर को एक स्टील की भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर—बराबर मात्रा में डाल कर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं भ—3294 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागो को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. एच —3294 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1—1 लीटर घी (मारवाड की शान) सरस के 4 मूल पैकेट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एय एच—3295 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच—3295 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 15 किलोग्राम टिन घी (मारवाड की शान) सरस 1 लीटर को एक स्टील की भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलोमें बराबर–बराबर मात्रा में डाल कर उनको एथर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं एच–3296 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. एच –3296 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री किरोडी लाल बजाज ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री किरोडी लाल बजाज को देकर रसीद प्राप्त की। नमूनीकरण के पश्चात् 15 किलोग्राम के 9 टीन, 5 लीटर के 9 टीन एवं 10 कार्टून प्रत्येक में 15 लीटर कुल 330 लीटर घी (मारवाड़ की शान) सरस को सीज व सील किया गया मौके पर सीजर फॉर्म न. 2.3 व 4 तैयार किये जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं घी (मारवाड की शान) सरस को विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। फॉर्म न. 2.3 व 4 न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/514 दिनांक 24.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2188/एक्ट/2024/2205 दिनांक 11.06.2024, एफएसएसए/2024/513 दिनांक 24.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2189/एक्ट/2024/2206 दिनांक 11.06. 2024 एवं एफएसएसए/2024/515 दिनांक 24.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2190/एक्ट/2024/2207 दिनांक 11.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (मारवाड़ की शान) सरस सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ घी (मारवाड़ की शान) सरस सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ घी (मारवाड़ की शान) सरस सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खादय पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2188/एक्ट/2024/2205 दिनांक 11.06.2024, एफएसएसए/2024/513 दिनांक 24.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2189/एक्ट/2024/2206 दिनांक 11.06. 2024 एवं एफएसएसए/2024/515 दिनांक 24.06.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2190/एक्ट/2024/2207 दिनांक 11.06.2024

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL TC 8946

अतिरिक्त अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. / 2188 / Act / 2024 / 2205 Date: 11-06-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virender Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee" bearing Code number and Serial number H-3294 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 27-05-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-06-2024 to 11-06-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle. (Sample collected from 5litre can (of brand Marvads Shaan Saras) as mentioned by Food Safety Officer in form No. VI).

(2) Physical appearance : - Light Yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.

Sr. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	41.1	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	32.49	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 3.2:2016	0.036 %.	Max. =0.5%.
4.	Polenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	1.24	0.5 - 2.0
5.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6:2016	Negative	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7:2016	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016:2016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee" bearing Code No. and Sr. No. H-3294 of Designated Officer cum Chief Medica[l] & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation N[o.] 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 11th day of June 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to. COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, Commissionerate of Food Safety and Drug Control, A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Food Analyst (Authorized Signatory)

SHUCHITA AGRAWAL

FOOD ANALYST, RAJASTHAN

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY

JAIPUR, RAJASTHAN

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

Report No. L.S. / 2189 / Act / 2024 / 2206

Date: 11-06-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee (Marvards Shaan Saras Brand)" bearing Code number and Serial number H-3295 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 27-05-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.
I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-06-2024 to 11-06-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 1litre.
(2) Physical appearance : - Yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	41.1	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	32.94	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 3.2:2016	0.065 %.	Max. =0.5%.
4.	Polenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	1.97	0.5 -2.0
5.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6:2016	Negative	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7:2016	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016:2016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee (Marvards Shaan Saras Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-3295 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 11th day of June 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

Copy to. COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अतिरिक्त अधिकारी (खाद्य) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. सवाई माधोपुर

Report No. L.S./ 2190 / Act / 2024 / 2207 Date: 11-06-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee" bearing Code number and Serial number II-3296 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 27-05-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-06-2024 to 11-06-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle, Loose sample (Sample collected from 15kg sealed tin of Brand Maryads Shan Saras as mentioned by Food Safety Officer in form No. VI)

(2) Physical appearance : - Yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	41.1	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	35.91	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 3.2:2016	0.017 %.	Max. =0.5%.
4.	Polenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	2.39	0.5 -2.0
5.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6:2016	Negative	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7:2016.	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016-2016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee" bearing Code No. and Sr. No. II-3296 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 11th day of June 2024

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to. COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (मारवाड़ की शान) सरस सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested

पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ घी (मारवाड़ की शान) सरस सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रावेन्स प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना राशि 15,000 रूपये (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। उक्त प्रकरण में सीज खाद्य पदार्थ को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर नियमानुसार निरस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:04 IST
Reason: SelfAttested